न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी

मुकदमा नं0 13/2016

सरकार

निर्णया दिनांक:- 1-3-2017

बनाम

श्योपाल वगैरा

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 135(2) एल0आर0एक्ट0

निर्णय

यह कि प्रार्थी श्योपाल की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि खसरा नम्बर 117 रकबा 1.17 हैक्टर, 118 रकबा 0.12 हैक्टर, 120 रकबा 0.20 हैक्टर, 121 रकबा 0.62 हैक्टर, 122 रकबा 0.27 हैक्टर, 139 रकबा 0.04 हैक्टर, 140 रकबा 0.63 हैक्टर, 142 रकबा 0.23 हैक्टर, 143 रकबा 0.21 हैक्टर, 147 रकबा 0.59 हैक्टर, 149 रकबा 0.32 हैक्टर व 305 रकबा 0.32 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 3.72 हैक्टर ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी में अवस्थित है, में प्रार्थी श्योपाल ने 1/2 हिस्सा की भूमि जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 30-10-1999 को खरीद की विक्रय पत्र की अनुपालना में विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तकरण खोला जाने का पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान बैंच अजमेर के निर्णय दिनांक 17-10-16, न्यायालय भू-प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं का निर्णय दिनांक 30-4-15, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी निर्णय दिनांक 25-7-2006 तथा विक्रय पत्र बहक श्योपाल दिनांक 30-10-1999 की प्रतियां पेश हुई प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर हल्का पटवारी से पक्षकारान की जॉच कर रिर्पोट मंगवाई गई जो दिनांक 9-01-2017 को शामिल पत्रावली की गई मृत्क पक्षकारान के वारिसा सूची के अनुसार वारिसान को नोटिस जारी किये गये नोटिस बाद तामिल शामिल मिसल किये गये पक्षकारान व मृत्क पक्षकारान के वारिसान की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये, वकालत नामा मय जबाब पेश हुआ। जो शामिल मिसल किये गये पक्षकारान व पक्षकारान के वारिसान ने अपने जबाब में अंकित किया की खसरा नम्बर 117 रकबा 1.17 हैक्टर, 118 रकबा 0.12 हैक्टर, 120 रकबा 0.20 हैक्टर, 121 रकबा 0.62 हैक्टर, 122 रकबा 0.27 हैक्टर, 139 रकबा 0.04 हैक्टर, 140 रकबा 0.63 हैक्टर, 142 रकबा 0.23 हैक्टर, 143 रकबा 0.21 हैक्टर, 147 रकबा 0.59 हैक्टर, 149 रकबा 0.32 हैक्टर व 305 रकबा 0.32 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 3.72 हैक्टर ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी में अवस्थित है में 1/2

..2

Scanned by CamScanner

हिस्से का केता श्योपाल पुत्र रामकुमार निवासी राधाकिशनपुरा सीकर को पूर्व में बेचान कर दी गई है। विकय शुद्वा भूमि 1/2 हिस्से का नामान्तकरण केता श्योपाल के नाम से खोले जाने का कोई एतराज व आपत्ति नहीं है। पत्रावली पर प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध न्यायिक निर्णय एवं दस्तावेज एवं जबाब का अवलोकन किया जाकर पक्षकारान के अधिवक्ताओं की मौखिक बहस सूनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बरान में 1/2 हिस्से का जरिये पंजिकृत विकय पत्र से प्रार्थीया ने दिनांक 30–10–1999 को कय की है विकय पत्र के अनुसार काबिज काश्तकार है। विकित की गई भूमियों का नामान्तकरण केता श्योपाल के नाम से खोले जाने का निवेदन किया जबाबदेहन्दागणों के अधिवक्ता ने निवेदन किया की श्योपाल को पूर्व में हमारे पूर्वजो द्वारा शामलाती खातेदारी की भूमि में से अपने कब्जा काश्त के अनुसार 1/2 हिस्सा का बेचान कर कब्जा केता को मौके पर करवा दिया गया था। केता श्योपाल के नाम से कय की गई भूमियों का नामान्तकरण खोले जाने से जबाबदेहन्दागण को कोई एतराज व आपत्ति नही है।

यह कि पत्रावली पर उपलब्ध निर्णयों एंव विकय पत्र की फोटो प्रतियों तथा मौखिक बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने पर मेरे मतानुसार प्रार्थी श्योपाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 1.17 हैक्टर, 118 रकबा 0.12 हैक्टर, 120 रकबा 0.20 हैक्टर, 121 रकबा 0.62 हैक्टर, 122 रकबा 0.27 हैक्टर, 139 रकबा 0.04 हैक्टर, 140 रकबा 0.63 हैक्टर, 142 रकबा 0.23 हैक्टर, 143 रकबा 0.21 हैक्टर, 147 रकबा 0.59 हैक्टर, 149 रकबा 0.32 हैक्टर व 305 रकबा 0.32 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 3.72 हैक्टर ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी में अवस्थित है में प्रार्थी श्योपाल पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा सीकर का विकय पत्र दिनांक 30–10–1999 के अनुसार कय की गई भूमियां का हिस्सा 1/2 का नामान्तकरण खोलने के लिये हल्का पटवारी को आदेश दिये जाते है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 1.3.2017 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हस्ताक्षर

तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner